झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रोजेक्ट भवन, चतुर्थ तल, धुर्वा, राँची–834004

विज्ञापन संख्या–05/न0वि0/जला0/पेयजल नियाO प्राधिकार/04/2016...5152 दिनांक–10/08/17

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना ।

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के विज्ञापन संख्या–4027 दिनांक–28.06.2017 द्वारा सूचना प्रकाशित की गई थी।

2. उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पर्याप्त अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

3. प्रसंगाधीन पदों हेतु योग्यता एवं अर्हतायें निम्नांकित रूप से होंगी :–

अध्यक्ष –

(क) शैक्षणिक योग्यता – स्नातक,

(ख) अन्य अर्हतायें –

(i) न्यूनतम 25 वर्षों के प्रशासनिक/ तकनीकी सेवा का अनुभव।

(ii) राज्य सरकार में सचिव/अभियंता प्रमुख स्तर का पदधारण किया गया हो।

(iii) शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल संचयन एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।

सदस्य (प्रशासन) –

(क) शैक्षणिक योग्यता – अर्थशास्त्र/ सामान्य विज्ञान/ सांख्यिकी/ प्रबंधन में मास्टर डिग्री/ प्रबंधन में पी0जी0 डिप्लोमा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

(ख) अन्य अर्हतायें – प्रशासनिक कार्य का कम से कम 25 वर्षों का अनुभव।

सदस्य (तकनीकी) –

(क) शैक्षणिक योग्यता – बी0टेक/बी0ई0 (सिविल, यांत्रिक, जल विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र) ।

(ख) अन्य अर्हतायें –

(i) विशेषज्ञ जिन्होंने जल संरक्षण तथा पेय जलापूर्ति एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य किया हो ।

(ii) शुद्ध पेयजल की आपूर्ति/जल संचयन/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो, तथा

(iii) मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा दे चुका हो ।

4. **कार्यकाल** – अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से 03 वर्षों तक पद धारण करेंगे, परन्तु 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेने की तिथि से अध्यक्ष एवं सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे।

5. **वेतनमान** –

(I) प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का मानदेय (पारिश्रमिक) एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(II) यदि सरकार के वर्त्तमान पदाधिकारी को प्राधिकार के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जबतक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत्त न हो जायें।

(III) अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर मानदेय (पारिश्रमिक) भुगतेय होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएं आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात पूर्ववत प्राप्त होंगी।

(IV) वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हो और वे प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेय (पारिश्रमिक), भत्ते और सुविधाएं वही होंगी, जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है।

6. **आवेदन पत्र जमा करने का स्थान** – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सचिव कोषांग, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची, झारखण्ड।

7. दिनांक–24.08.2017 के अपराह्न 5.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

8. उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (विज्ञापन संख्या–4027/17) विभागीय वेबसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

(ह० 10/08/17)
(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–05/न0वि0/जला0/पेयजल निया0 प्रा0–4/2016......5152 राँची, दिनांक–10/08/17

प्रतिलिपिः– श्री कुणाल कुमार, आई0टी0 विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, राँची को विज्ञप्ति उपलब्ध कराने एवं विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में वांछित कार्रवाई की जाय।

(ह० 10/08/17)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–05/न0वि0/जला0/पेयजल निया0 प्रा0–4/2016......5152 राँची, दिनांक–10/08/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव कार्यालय/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह० 10/08/17)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रपत्र

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x